प्रा0पत्र/01/2024 **न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर**

थानाधिकारी पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर.

बनाम .....प्रार्थी0

1—जीतेन्द्र पुत्र गोर्धनसिह उम्र 25 साल जाति जाटव निवासी नगला खूटेला थाना कुम्हेर

2—विनोद पुत्र टुण्डा उम्र 19 साल जाति भील मीणा निवासी कोडापूरा थाना गढ़ी बाजना

3— अनिल कुमार पुत्र रामकिशन उम्र 36 साल जाति जाटव निवासी सत्यपूरा (आजऊ) थाना कुम्हेर (वाहन स्वामी)

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) बाबत एफ.आई.आर न. 356/2023 धारा 3,5,8 में जप्त वाहन के बाबत।

उपस्थित :—

1—ए0पी0पी0 पैरोकार सरकार प्रार्थी,

2—श्री हरिमोहन धोर, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 31.7.2024

प्रार्थी थानाधिकारी, पुलिस थाना नदबई जिला भरतपुर ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) पेश किया गया , जो संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.7.2023 को दौराने गस्त कुम्हेर वाई पास चौराहा पहुंचने पर रेलवे बाई पास निर्माणधीन ओवर ब्रिज के पास पहुंचने पर रायसीस मोड की तरफ से एक पिकअप आती हुई दिखाई दी जिसे नाकाबन्दी कर रोका गया जिसका रजिस्टर नं. आर.जे. 05 जीबी 9682 जिसके पीछे लकड़ी के दो फंटे लगे हुये है उक्त वाहन के डाले पर चढकर देखा तो पिकअप में 4 गाय व एक बछडा गोवंश भरे हुये हैं जिनके पैर व मुंह रस्सी से बन्धे हुये थे एवं निर्दयता पूर्वक एक दूसरे पर लदे हुये हैं। पिकअप के कैबिन को चैक किया तो केबिन में चालक सहित तीन व्यक्ति अप्रार्थीगण बैठे मिले। गाडी के अन्दर भरे गौंवंश को एक एक

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

कर बाहर निकाल कर गिना तो 4 गाय व एक बछडा जिनमें बछडा मृत था। वाहन के कैबिन में एक सफेद रंग की प्लास्टिक की कट्टी रखी हुई मिली जिसके ढक्कन को खोलकर चेक किया तो तरल पदार्थ भरा हुआ मिला, सुंघा तो पूर्व अनुभव के आधार पर देशी हथकड़ शराब होना पाया गया। गौवंश को ले जाने व परिवहन करने हेतु परमीशन व लाईसेन्स पेश नहीं किया वाहन पिकअप रजिस्टर नम्बर आर जे 05 जीवी 9682 में गौंवंश को गौ तस्करी हेतु ले जाना पाया गया, जुर्म धारा 3,5,8 राज0 गौवंश अधिनियम के तहत अपराध घटित होना पाया गया। रिपोर्ट के अन्त में लिखा है कि जप्त वाहन पिकअप को सुपुर्दगी में दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी0 को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी अनिल कुमार वाहन स्वामी की ओर से जबाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने बताया कि अप्रार्थी0 के खिलाफ धारा 6ए का प्रकरण झूंठा एवं मनगढ़त दर्ज किया गया है। अप्रार्थी वाहन का स्वामी है। अप्रार्थी के वाहन में किसी प्रकार का गौवंश तस्करी कर नहीं ले जा रहा था। योग्य अभिभाषक का कहना है कि अप्रार्थी की पिकअप खाली थी। पहले से ही एक पिकअप नंबर आरजे 05 / जी.बी. 9367 जिसमें गौवंश मौजूद था, उस पिकअप के बजाय गौंवश को हमारी पिकअप में गौंवश को भरा होना बताया जाकर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। अप्रार्थी निर्दोष है अप्रार्थी के वाहन संख्या आर जे 05 जी.वी. 9682 झूठां केस बना कर जप्त किया गया। अप्रार्थी का जप्त वाहन थाने पर खड़ा हुआ धूप व वर्षात से खराब हो रहा है। अप्रार्थी के खिलाफ पेश प्रकरण को खारिज किया जावे तथा अप्रार्थी के वाहन को रिलीज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी के कथनों पर गौर किया गया। योग्य अभिभाषक का यह कहना कि प्रार्थी वाहन मालिक ने कोई कृत्य नहीं किया है, अप्रार्थी के यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है क्यों कि पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि मौका गवाह से स्पष्ट है अप्रार्थी के वाहन से गौंवश जप्त किया गया है, जीवित चार गांयों को गौशाला में दाखिल कराया गया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी वाहन संख्या पिकअप नंबर आरजे 05 / जी.बी. 9682 से गौवंश को तस्करी के लिये परिवहन कर ले जा रहा था। अप्रार्थी का यह कृत्य धारा 3,5,8 राज0 गौवंश अधिनियम की परिभाषा में आता है जो दण्डनीय अपराध है।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अधिनियम का अध्ययन किया गया।
उक्त अधिनियम की धारा 6 Transporter to be abettor:—

".....Whenver the bovine animals are trasported by any means of transport in furtherance of the object of colimission of any offence under this Act, the transporter shall be gulity of abetment of the said offence and shall be liable for the same punishment as is provid under section 8 of the Act for person committing the said offence....."

The Rajasthan Bovine Animal (Prohivition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) ACt 1995 की धारा 11 :—

"Burden of proof :- Wher any person is prosecuted for an offence under the provisions of this Act, the burden of proof that he had not committed the offence under the provisions of this Act shall be on him.

इस प्रकार प्रार्थी थाना अधिकारी नदबई द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 6ए गौवंश अधि0 के साथ प्रस्तुत नकल एफ.आई.आर., फर्द जप्ती गौवंश, जप्ती वाहन, फर्द पुछताछ, फर्द मौका नक्शा एवं बयान मौका गवाहन से यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन पिकअप नंबर आरजे 05 / जी.बी. 9682 गौवंशीय पशुओं को गौवध के लिये परिवहन में लिप्त पाया गया है, अप्रार्थी का यह कृत्य धारा 5,6,8 गौवंश अधिनियम की तारीफ मे आता है।

उपरोक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि जप्त वाहन पिकअप नंबर आरजे 05 / जी.बी. 9682 गौवंशीय पशु को गौवध के लिये परिवहन में लिप्त पाये जाने पर जप्त किया गया है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवर्जन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6(ए) के तहत उक्त जप्त वाहन को राजसात (confiscate) किया जाता है।

अधिनियम की धारा राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 6ए में दिये गये प्रावधान :—

(3— Insrtion of new section 6-A, Rajasthan Act No. 23 of 1995- After the exisstiong section 6 and before the existiog section 7 of the principal Act the following new section shall be inserted,namely :

6-A Confiscation of the means of conveyance-(1) Whenever an offence punishable under this Act is committed, any means of conveyance used in the commission of such offence shall be liable to confiscation.....Provided also that before ordering confisction under this sub-section(1), may be given an option to pay, in lieu of confiscation, a fine not exceeding the market price of such means of conveyance.)

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

के तहत उक्त अधिनियम की धारा 6(ए) के परिप्रेक्ष्य में जप्त वाहन संख्या पिकअप नंबर आरजे 05 / जी.बी. 9682 वाहन पर राशि 15000 / – (पन्द्रह हजार रुपये) जुर्माना (Fine) लगाया जाना उचित पाते हैं। जुर्माना राशि 30 दिवस में जमा नहीं कराने पर जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (confiscate) हो जावेगा।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन का निर्यात का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2018 धारा 6(ए) स्वीकार किया जाता है।

अधिनियम की धारा 6(ए)(1) में दिये गये प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में जप्त पिकअप नंबर आरजे 05 / जी.बी. 9682 के वाहन मालिक 30 दिवस के अन्दर वाहन पर जुर्माना (Fine) राशि 15000 / – (पन्द्रह हजार रुपये,) राजकोष में जमा करादे, तो वाहन को सम्बन्धित मालिक को रिलीज किया जावे। बाद गुजरने म्याद उक्त जप्त वाहन स्वतः ही राजसात (confiscate) हो जायेगा। निर्णय की प्रति भारसाधक पदाधिकारी, पुलिस थाना नदबई को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर